

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

## ॥ संक्षिप्त निविदा सूचना ॥

क्र. ~~113~~ /निविदा/ मो. प्रति./2017-18

राजनांदगांव, दिनांक 18/05/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न कार्य हेतु वाहन चैन माउन्टेन (पोकलेन) एवं ट्रक टिप्पर किराये से उपलब्ध कराये जाने हेतु मालिक/फर्म/एजेंसी से फार्म "बी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

29/05/2017 शाम 5.00 बजे तक

2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

30/05/2017 शाम 5.00 बजे तक

क्र.	कार्य का विवरण	प्राक्कलन राशि (लाख में)	अमानती राशि (रूपए में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपए में)	समयावधि
1	2	3	4	5	7
01	नगर निगम सीमांतर्गत क्षेत्र के बड़े नालों/नालियों में सफाई कार्य हेतु वाहन चैन माउन्टेन (पोकलेन) एवं ट्रक टिप्पर - 8 घनमीटर/14 घनमीटर किराये से उपलब्ध कराये जाने हेतु	4,00,000.00 रु.	4,000.00 रु.	750.00 रु.	आवश्यकतानुसार

**शर्तें:-**

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ. डी. आर. निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंकों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेंगे।
5. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

6. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे।
7. छ.ग. शासन के पत्र क्र. 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
8. वाहन का जीवित पंजीयन/इंश्योरेंस आदि का जवाबदारी निविदाकार का होगा।
9. चैन माउन्टेन (पोकलेन) एवं ट्रक टिप्पर (डीजल, आयल, चालक, हेल्पर मरम्मत कार्य ) आदि निविदाकार का होगा।
10. कार्य करते समय होने वाली किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
11. प्राकलन राशि में कार्य के आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
12. शासन नियमानुसार देयक करों की कटौती की जावेगी।
13. निविदाकार आवेदन के साथ वाहन का बीमा जीवित पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
14. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

*Bhms*  
18/05/17  
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ.क्र. ~~2214~~ /निविदा/ मो. प्रति./2017-18  
प्रतिलिपि:-

राजनांदगांव, दिनांक 18/05 /2017

1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, मोटर प्रतिपालन नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईट में अपलोड किये जाने।
4. कार्यालय----- नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

*Bhms*  
18/05/17  
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव